

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-03/2011-

/कृ०, पटना, दिनांक

,2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विशनचन्द खण्डेलवाल,
मे० कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०,
बेला, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
पो०-एम० आई० सी०, मुजफ्फरपुर।

विषय :-

कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-1/92-93 दिनांक 24.04.1993 बैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं CIB रजिस्ट्रेशन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण हेतु विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-1/92-93 दिनांक 24.09.1993 बैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Zineb 75% WP

2-यह आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

3-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

4-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक तथा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5-विनिर्माण अनुज्ञप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन/बिक्री उन्ही फसलों के लिए की जायेगी जिन फसलों के लिए CIB में RC द्वारा Lable Claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बिच उक्त कीटनाशी समग्र रूप से दे दी जाय।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त कृषि निदेशक (पौ० सं०) बिहार को भी इसकी प्रति दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

55 42

/कृ०, पटना, दिनांक 08-12-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना